रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. NO. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 125] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 18, 1992/फाल्गुन 28, 1913

No. 125] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 18, 1992/PHALGUNA 28, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is givex to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1992

सा.का.नि. 336(अ) :—केन्द्रीय सरकार, अभिलेख नाशकरण अधिनियम, 1917 (1917 का 5) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी विधि बोर्ड न्यायपीठ कार्यालय (अभिलेख माशकरण) नियम, 1980 का संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी विधि बोर्ड न्यायपीठ कार्यालय (अभिलेख माशकरण) संशोधन नियम, 1992 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कम्पनी विधि बोर्ड न्यायपीठ कार्यालय (अभिलेख नाशकरण) नियम, 1980 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् नियम कहा गया है) के नियम 2 में,—

(क) खंड (ग) और (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे अर्थात् :—

"(ग) "न्यायपीठ" से अधिनियम की धारा 10ङ की उपधारा (1क) के अधीन बनायी गयी कंपनी विधि बोर्ड न्यायपीठ अभिप्रेत है;

(घ) "न्यायपीठाधिकारी" से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसे कंपनी विधि बोर्ड द्वारा निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये अधिसूचित किया गया है—

(1) अर्जियां और आवेदनों को प्राप्त करना, उनकी जांच तथा पड़ताल करना; और

(2) ऐसे अन्य कार्य करना जो उसे इन नियमों तथा लेखाओं से संबंधित कार्यालय अभिलेख के नाशकरण से संबंधित नियमों के अधीन सौंपे जाएं;";

(घ) खंड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(छ) "अर्जी" से कोई ऐसी अर्जी, आवेदन, अपील या परिवाद अभिप्रेत है जिसके अनुसरण में कोई कार्यवाही, जो अन्तर्वर्ती कार्यवाही नहीं है, न्यायपीठ के समक्ष प्रारम्भ की जाती है।"।

3. नियमों के नियम 3 में सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :—

"सारणी

क्रम सं.	विषय	परिरक्षण की अवधि
1	2	3
1.	अधिनियम और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम,, 1956 और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अधीन अर्जी, आवेदन और निर्देश	मामले के अन्तिम निपटारे के पश्चात् पांच वर्ष
2.	क्रम संख्या 1 में निर्दिष्ट अर्जी, आवेदन और निर्देश की दूसरी प्रतियां	मामले के अन्तिम निपटारे के पश्चात् एक वर्ष
3.	अर्जियों का रजिस्टर	सर्वदा के लिये
4.	आवेदनों का रजिस्टर	पांच वर्ष
5.	प्रकीर्ण फाइलों का रजिस्टर	तीन वर्ष
6.	(1) फीस का रजिस्टर	समरीक्षा पूरी होने के पश्चात् एक वर्ष
	(2) प्रतियां तैयार करने का प्रभार तथा निरीक्षण से संबंधित रजिस्टर	,,
7.	कंपनी विधि बोर्ड सुनवाई कार्यवृत्त	बारह वर्ष
8.	निर्णय और आदेश	सर्वदा के लिए" ।

[फा.सं. 3/8/92-सी.एल.-5]
सुधा दिल्ले, संयुक्त सचिव

मूल अधिसूचना
का.नि.आ. 973 तारीख 12-9-1980

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March ,1992

GSR 336(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Destruction of Records Act, 1917 (5 of 1917), the Central Government hereby makes the following rules to amend the offices of the Company Law Boards Benches (Destruction of Records) Rules, 1980, namely :—

1. (1) These rules may be called the Offices of the Company Law Board Benches (Destruction of Records) Amendment Rules, 1992.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Offices of the Company Law Board Benches (Destruction of Records) Rules, 1980 (hereinafter referred to as the Rules), in rule 2,—

(a) for clauses (c) and (d), the following clauses shall be substituted, namely :—

"(c) "bench" means a bench of the Company Law Board formed under sub-secttion (4B) of section 10E of the Act;

(d) "bench officer" means an officer notified by the Company Law Board for the purposes of—

(i) receiving, examining and processing petitions and applications; and

(ii) performing such other functions as may be entrusted to him under these rules and the rules for the destruction of office records connected with accounts;"

(b) for clause (g), the following clause shall be substituted, namely :—

"(g) "Petition" means a petition, application, appeal or complaint in pursuance of which any proceeding, not being an interlocutory proceeding, is commenced before the bench.".

3. In rule 3 of the Rules, for the table, the following table shall be substituted, namely :—

"TABLE

Sl.No.	Subject	Period of preservation
1	2	3
1.	Petitions, applications and references under the Act and under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969.	Five years after final disposal of the case
2.	Duplicate copies of petitions, applications and references referred to in serial number 1.	One year after final disposal of the case
3.	Register of petitions.	Permanently
4.	Register of applications	Five years
5.	Register of miscellaneous files	Three years
6.	(i) Register of fees (ii) Register of copying charges and inspection	One year after completion of audit
7.	Minutes of the Company Law Board hearings	Twelve years
8.	Judgements and Orders	Permanently".

[F.No.3/8/92-CL.V]
SUDHA PILLAI, Jt. Secy.

Principal Notification :—
G.S.R. 973 dated 12-9-1980.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992